

19.06.024

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मौजा वोढा पटवार हल्का खारा तह सांचौर के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 है. का आया हुआ है, जो राजस्व नक्शा उक्त खेत अलग से तरमीम सुदा है, किन्तु अप्रार्थीगण उक्त खेत की माठ तोड़कर उनके खेत में मिलने की चेष्टा करते है, तथा माठ तोड़ते रहते है, तथा आये दिन टंटा फसाद पर उतारू हो जाते है, दिनांक 23.06.2019 को उक्त खेत की पैमाईश करवाई, परन्तु अप्रार्थीगण बाज नहीं आ रहे है, तथा कुछ भाग पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है, तथा अब आगे से आगे कब्जा करने पर उतारू है, जबकी उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावे।

प्रार्थना पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी के दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण मूल वाद में तामिल बावजूद उपस्थित नहीं होने पर मूल वाद में एक पक्षीय कार्यवाही उनके विरुद्ध अमल में लाई गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने कारण इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से तथा प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से आदेश दिनांक 30.07.2020 को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मौजा वोढा पटवार हल्का खारा तह सांचौर के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 है.में अप्रार्थीगण मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का निर्माण न करे एवं न ही अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो एवं इसी मुताबिक नम्बर से कम हो।

**सहायक कलेक्टर, सांचौर**  
**(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)**